



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 592 राँची, गुरुवार,

12 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

9 जुलाई, 2024

विषय:- कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी/असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद अथवा जखमी झारखण्ड पुलिस के सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्तियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एस०पी०ओ०. सैप एवं गृह रक्षकों के लिए 'विशेष क्षतिपूर्ति योजना' (Special Compensation Scheme) के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

संख्या-18/विविध (07)-09/2023-4179-- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-18015/42/2017-LWE-III, दिनांक- 09.05.2018 के माध्यम से, 'Guidelines of Security Related Expenditure (SRE) Scheme for LWE Affected State' की कंडिका-14 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिसकर्मियों के बीमा की प्रीमियम (Premium) राशि के संबंध में प्रावधान था, परन्तु पुनः गृह मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-18015/12/2022-

LWE-III, दि०-29.08.2022 के माध्यम से प्राप्त revised guidelines में पूर्व के बीमा से सम्बद्ध कंडिका-14 अर्थात SRE बीमा शीर्ष को लुप्त कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि नक्सल विरोधी घटनाओं में शामिल पुलिसकर्मियों एवं अन्य बलों की प्रीमियम राशि का भुगतान 'Security Related Expenditure' मद से नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नक्सल विरोधी अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों, सैप, गृह रक्षकों एवं एस०पी०ओ० सहित के बीमा हेतु किया गया करार दिनांक-27.07.2023 को समाप्त हो चुका है। इस बीमा की व्यवस्था, नवसली अभियान में लगे झारखण्ड पुलिस के विभिन्न पंक्ति के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्तियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह रक्षकों के लिए लागू था।

2. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिला क्षेत्रों सहित अन्य सभी जिला क्षेत्रों में कार्यरत झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्ति के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह रक्षकों तथा इनके सहयोगार्थ तत्समय उपस्थित अन्य कर्मियों के लिए कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी/असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों से शहीद होने पर उनको आर्थिक सहायता के रूप में इस विशेष क्षतिपूर्ति योजना (Special Compensation Scheme) के अंतर्गत निम्नानुसार मुआवजा राशि भुगतान किया जायेगा :-

क्र०	घटना का विवरण	मुआवजा राशि
	कर्तव्य के दौरान उग्रवादी / असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों / साम्प्रदायिक / जातीय दंगा/विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान भीड़ द्वारा आक्रमण/अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद / हताहत होने पर क्षतिपूर्ति।	रु० 60,00,000/- (साठ लाख रुपये मात्र) का भुगतान किया जायेगा।
2	कर्तव्य के दौरान उग्रवादी / असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों/साम्प्रदायिक / जातीय दंगा/विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान भीड़ द्वारा आक्रमण/अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान जखमी होने के कारण निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपचार तथा जखमी के बेहतर ईलाज के प्रारंभिक और बाद के चरणों में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में चिकित्सीय व्यय।	चिकित्सीय विपत्र प्रस्तुत करने पर एम्बुलेंस खर्च सहित कुल खर्च की भरपाई की जाएगी। घायल पुलिसकर्मियों के जीवन रक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का भी खर्च उपलब्ध कराया जाएगा।

3	कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/ असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों/साम्प्रदायिक/जातीय दंगा/विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान भीड़ द्वारा आक्रमण/अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद / हताहत होने पर सम्बंधित पदाधिकारी / कर्मों के बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क।	मृत पदाधिकारी/कर्मों के दो आश्रित बच्चों, जो अगले 05 वर्षों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों के शिक्षण शुल्क हेतु कुल ₹ 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
4	कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/ असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों/साम्प्रदायिक/जातीय दंगा/विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान भीड़ द्वारा आक्रमण/अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद / हताहत होने पर मृतक के शव को वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु मुआवजा ।	अधिकतम 50,000/- (पचास हजार रुपये) या वास्तविक राशि, जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।
5	कर्तव्य निर्वहनरत् उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान सड़क अथवा अन्य दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति।	मृत्यु होने की स्थिति में 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) एवं वास्तविक चिकित्सा व्यय।
6	कर्तव्य निर्वहनरत् उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान साँप के काटने अथवा मलेरिया से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति।	मृत्यु होने की स्थिति में 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख) एवं वास्तविक चिकित्सा व्यय ।

3. उक्त प्रावधान निम्न शर्तों के साथ लागू होगा-

- (क) इस प्रस्तावित विशेष क्षतिपूर्ति योजना के उक्त कंडिका 2.1, 2.5 एवं 2.6 में उल्लेखित क्षतिपूर्ति राशि (क्रमशः ₹ 60,00,000.00, ₹ 35,00,000.00 एवं ₹ 35,00,000.00) भुगतान का लाभ जिन्हें दिया जाएगा, उन्हें वित्त विभाग के संकल्प संख्या-218, दिनांक-18.01.2017 में प्रावधानित एकमुश्त क्षतिपूर्ति (Ex-gratia) व. समय-समय पर इस राशि में होने वाले संशोधन का लाभ नहीं दिया जाएगा परंतु कंडिका 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एवं 2.6 में उल्लेखित चिकित्सा संबंधी लाभ तथा शिक्षण शुल्क व परिवहन शुल्क का लाभ वित्त विभाग के संकल्प संख्या-218, दिनांक 18.01.2017 में प्रावधानित एकमुश्त क्षतिपूर्ति (Ex-gratia) के अतिरिक्त होगा ।
- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-218, दिनांक-18.01.2017 में प्रावधानित एकमुश्त क्षतिपूर्ति (Ex-gratia) राशि में संशोधन होने पर संशोधन की तिथि से इस प्रस्तावित विशेष क्षतिपूर्ति योजना के तहत देय विशेष क्षतिपूर्ति राशि में भी संशोधन किया जायेगा ।
- (ग) कर्तव्य के दौरान उग्रवादी/असमाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों / साम्प्रदायिक/जातीय दंगा/विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के दौरान भीड़ द्वारा आक्रमण/अपराधियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद/हताहत होने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मों के दो आश्रित बच्चे, जो अगले

पाँच वर्षों के लिए पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं की शिक्षा के लिए अधिकतम राशि 5,00,000.00 (पाँच लाख) रुपये एकमुश्त भुगतान किया जायेगा जो विभागीय संकल्प संख्या-2126, दिनांक-10.05.2008 के तहत देय लाभ के अंतर्गत होगा अर्थात् इस संकल्प के अधीन लाभ प्राप्त होने पर उक्त रुपये 5,00,000/- (पाँच लाख) की राशि इस संकल्प के तहत देय राशि से समायोजित होगी।

जिन मामलों में विभागीय संकल्प संख्या-2126, दिनांक-10.05.2008 के तहत लाभ प्राप्त नहीं होता हो, उस मामले में आश्रित बच्चों के शिक्षण शुल्क हेतु उपरोक्त अधिकतम 5,00,000.00 (पाँच लाख) रुपये एकमुश्त भुगतान अनुमान्य होगा।

(घ) शहीद / मृत कर्मियों के माता पिता जीवित होने की स्थिति में देय मुआवजा का भुगतान निम्न अनुपात में किया जाएगा -

(i) मृतक के माता-पिता 25%

(ii) मृतक की पत्नी / सन्तान 75%

अगर माता-पिता दोनों जीवित हैं, तो यह 25% राशि उनके संयुक्त बैंक खाता में हस्तांतरित की जायगी। अगर दोनों में से एक ही जीवित हैं, तो उनके खाते में यह 25% राशि हस्तांतरित की जायगी।

(ड.) उक्त योजना दिनांक 27.07.2023 से प्रभावी होगी।

(च) इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिला क्षेत्रों सहित अन्य सभी जिला क्षेत्रों में कार्यरत झारखण्ड राज्य के सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्ति के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह रक्षकों तथा इनके सहयोगार्थ तत्समय उपस्थित अन्य कर्मियों अथवा उनके आश्रितों को अनुमान्य होगा।

नोट- किसी अभियान अथवा कार्य के दौरान झारखण्ड पुलिस के सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभिन्न पंक्तियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, एस०पी०ओ०, सैप एवं गृह रक्षकों के साथ-साथ अन्य सिविल पदाधिकारी/कर्मियों जैसे सिविल मजिस्ट्रेट, ड्राइवर, रसोईया, अनुसेवक आदि भी इनके साथ कार्य पर हो सकते हैं। सहयोगार्थ तत्समय उपस्थिति कर्मियों से तात्पर्य इन्हीं कर्मियों से है।

4. इस योजना (विशेष क्षतिपूर्ति योजना) (Special Compensation Scheme) के लिए 5,00,00,000.00 (पाँच करोड़) रुपये का एक विशेष समग्र निधि (Special Corpus Fund) स्थापित किया जाएगा, जिसकी राशि मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय, उप शीर्ष 09 उग्रवादी घटनाओं में मारे गये पुलिस कर्मियों / ग्रामीण पुलिस / होम गार्ड / गृह रक्षकों को विशेष अनुग्रह अनुदान, विस्तृत शीर्ष- 06 अनुदान, 49- आर्थिक सहायता विपत्र कोड 22-S-2070-00-800-09-00-06-49" से विकलनीय होगी। इस निधि से जितनी राशि व्यय की जाएगी, उतनी राशि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रतिवेदन के आधार पर निरन्तर सरकार के स्तर से इस निधि में पुनः आवंटित कर दी जाएगी।

5. विशेष क्षतिपूर्ति योजना (Special Compensation Scheme) अन्तर्गत निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. विशेष क्षतिपूर्ति योजना (Special Compensation Scheme) अन्तर्गत क्षतिपूर्ति/मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत होगी-
- I. इस योजना के अन्तर्गत विशेष समग्र निधि का संचालन / संधारण पुलिस उप महानिरीक्षक, बजट, पुलिस मुख्यालय, राँची द्वारा अथवा पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखण्ड राँची द्वारा नामित पुलिस उप महानिरीक्षक कोटि से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
 - II. संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस विशेष समग्र निधि हेतु राशि का अवंटन पुलिस मुख्यालय को किया जायेगा ।
 - III. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर बैंक खाते में इस राशि को संधारित किया जायेगा ।
 - IV. बैंक खाते में संधारित राशि पर अर्जित ब्याज इस समग्र निधि का ही हिस्सा होगा जिसे इस योजना के अंतर्गत योग्य आश्रितों के मुआवजा भुगतान में व्यय किया जा सकेगा ।
 - V. विशेष समग्र निधि में 5 करोड़ से कम राशि होने पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आवश्यक राशि का आवंटन समय-समय पर किया जायेगा ।
 - VI. योग्य आश्रितों द्वारा सीधे अथवा संबंधित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त या अन्य संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से मुआवजा भुगतान हेतु पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, झारखण्ड को आवेदन समर्पित किया जायेगा ।
 - VII. प्राप्त आवेदन की समुचित जांच उपरांत इस योजना के अन्तर्गत योग्य आश्रितों को पुलिस मुख्यालय के स्तर पर संधारित विशेष समग्र निधि से अनुमान्य मुआवजा राशि का भुगतान पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। भुगतान से पूर्व यह आस्वस्त हो लेना आवश्यक होगा कि आवेदक/आश्रित को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-218, दिनांक-18.01.2017 व भविष्य में होने वाले इसमें संशोधन के तहत अनुमान्य अनुग्रह क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है ।
 - VIII. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के पूर्व यह आस्वस्त हो लिया जायेगा कि चिकित्सा पर व्यय पूर्व में सरकार की निधि से नहीं की गई है तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-समय पर निर्गत संकल्पों/परिपत्रों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु दावा नहीं किया गया है। किसी भी परिस्थिति में भुगतान में Duplicacy नहीं हो, यह सुनिश्चित करना पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की जिम्मेदारी होगी ।
 - IX. आवेदन का प्रपत्र व आवेदन की जाँच हेतु जाँच प्रपत्र पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
